

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 188/2015
संस्थित दिनांक-15/07/15
फाईलिंग नंबर-230303004542015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

सुनील परिहार पुत्र रामकिशन परिहार उम्र 32 वर्ष
निवासी ग्राम बडेरा थाना गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

..... आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक।
आरोपी सुनील परिहार द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 14 सितम्बर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरोपी सुनील परिहार के विरुद्ध धारा-392/397 भा०द०वि, सहपठित धारा-11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के०एक्ट तथा धारा-376 (2)(जी) भा०द०वि के तहत इस आशय के आरोप है, कि उसने दिनांक 14/03/15 को शाम के करीब 07:00 बजे पिपरसाना चितौरा के मध्य ताल के पास तहसील गोहद के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर राकेश परिहार एवं उसकी भाभी अभियोक्त्री के साथ रुपये, जेवर, मोबाइल आदि की लूट घातक आयुध देशी कट्ठे का भय दिखाते हुए कारित की, एवं अभियोक्त्री के साथ उसकी सम्मति के बिना व इच्छा के विरुद्ध अपने साथियों के साथ मिलकर अयुक्त संभोग बारी-बारी से कर सामूहिक बालात्संग का अपराध कारित किया।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है, कि अभियोक्त्री का पति छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली विभाग में कार्यरत है और अभियोक्त्री भी छत्तीसगढ़ में ही मूलतः निवास करती है। यह भी स्वीकृत है, कि आरोपी फरियादी पक्ष का करीबी रिश्तेदार है। प्रकरण में यह भी निर्विवादित है कि घटना दिनांक को घटनास्थल मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना

क्रमांक-एफ-91/07/81 बी-21 दिनांक 19/05/1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है, कि दिनांक 14/03/15 को ग्राम टिकटोली थाना बेहट जिला ग्वालियर का निवासी राकेश परिहार अपनी भाभी अभियोक्त्री को लेकर अपनी मोटरसाइकिल से ग्वालियर से अभियोक्त्री के मायके स्योडा जिला दतिया छोड़ने के लिए जा रहा था, रास्ते में ग्राम पिपरसाना चितौरा के बीच ताल के पास, जब वह मोटरसाइकिल से शाम के करीब 07:00 बजे पहुंचा तो मोटरसाइकिल पर चार लोग पीछे से आये और ओवरटेक करके उन्हें रोक लिया, जिससे वह गिर गये, फिर उनमें से दो लोगों ने उसकी कनपटी पर कट्टा लगाया और खेत की तरफ ले गये तथा शेष दो उसकी भाभी अभियोक्त्री को पकड़कर अलग खेत की तरफ ले गये तथा सभी ने उन्हें धमकाया कि शोर किया तो वह जान से मार देंगे, जो दो लोग राकेश को ले गये थे, उन्होंने उसके पर्स में रखे 800/-रुपये लावा कंपनी का मोबाइल जिसमें सिम क्रमांक 8349208725 डली थी, छीन लिया और उसे आधा घंटे तक खेत में ही डाले रहे, फिर धमकी देकर भाग गये उसके बाद उसने उठकर अपनी भाभी को तलाशा, जिसने उसे यह बताया, कि लुटेरे उससे भी 2500/-रुपये नगद, नोकिया कंपनी का मोबाइल मॉडल नं0 5130, जिसमें सिम क्रमांक 83598211846 डली थी, तथा उसके पहने हुए जेवर कान के सोने के टॉप्स, सोने की अंगूठी, लॉग व चांदी की तोड़िया जिनकी कीमत करीब 30,000/-हजार रुपये होगी, वह भी लूट कर ले गये, घबराने और रात होने के कारण वे रात को रिपोर्ट को नहीं गये और सीधे चितौरा अपने रिश्तेदार करतार के यहां गये और वहीं रुके अगले दिन राकेश का साला चन्द्रप्रकाश और राकेश जानकारी के लिए गये तो, रात में जिन चार लोगों ने उनके साथ घटना की थी, उनमें से एक अभियुक्त सुनील पुत्र रामकिशन परिहार निवासी बडेरा का मिला और यह भी जानकारी लगी कि चारों लोग दो-तीन दिन से मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, घर आकर उसकी भाभी अभियोक्त्री ने अपने पति को यह बात भी बतायी कि चारों ने उसके साथ बलात्कार भी किया था और शर्म के कारण उसने नहीं बताया था, फिर उसने सुनील परिहार का पता किया जो दिनांक 17/03/15 को उसे ग्राम करीगवां थाना बिजौली के एक होटल पर बैठा दिखा था, जिसे देखकर उसने तत्काल पहचान लिया, जिसने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके व उसकी भाभी के साथ लूट की तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी भाभी के साथ बलात्कार की घटना कारित की, जो उन्हें देखकर भाग गया, फिर थाने जाकर दिनांक 17/03/15 को राकेश परिहार के द्वारा की गयी रिपोर्ट पर से आरोपी सुनील परिहार एवं तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना गोहद में अपराध क्रमांक 80/15 धारा-392, 376 2(जी)/34 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्र0पी0-03 की एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी।

4. अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण, घटनास्थल से की गयी जब्ती आरोपी के पकड़े जाने पर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाकर अन्य अनुसंधान करते हुए तथा अभियोक्त्री के धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत प्र0पी0-10 के कथन कराये जाने के पश्चात विवेचना पूर्ण कर आरोपी सुनील परिहार के विरुद्ध शेष अभियुक्तों के अज्ञात बने रहने से धारा-173 (8) द0प्र0सं0 के तहत अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखते हुए आरोपी सुनील परिहार के विरुद्ध अभियोगपत्र जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण उपार्पित होकर माननीय सत्र न्यायाधीश सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर पूर्व विचारण न्यायालय विशेष न्यायालय डकैती भिण्ड से इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

5. आरोपी सुनील परिहार के विरुद्ध धारा 392/397 एवं 376 (2)(जी) भा0द0वि0 सहित सहपठित धारा-11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0एक्ट0 1981 के आरोप लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध को अस्वीकार किया। धारा-313 जा0फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं के निर्दोष होने और झूठा फसाये जाने का आधार लिया है, कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- क्या दिनांक 14/03/15 को शाम करीब 07:00 बजे आरोपी द्वारा अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी राकेश एवं उसकी भाभी अभियोक्त्री से रुपये, मोबाइल, जेवर आदि की लूट कारित की ?

2- क्या आरोपी द्वारा उक्त सुसंगत लूट की घटना में घातक आयुध देशी कट्टे का उपयोग किया गया ?

3- क्या आरोपी द्वारा अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उक्त सुसंगत घटना के क्रम में अभियोक्त्री के साथ उसकी सम्मति के बिना व इच्छा के विरुद्ध बारी-बारी आयुक्त संभोग कर सामूहिक बलात्संग कारित किया ?

—::—निष्कर्ष के आधार —::—

विचारणीय प्रश्न कमांक-01 व -02 का निराकरण

7. उक्त दोनों विचारणीय बिंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है तथा लूट व सामूहिक बलात्कार पीडिता की पहचान गुप्त रखे जाने के उद्देश्य से उसे विश्लेषण में अभियोक्त्री के रूप में उल्लेखित किया जायेगा।

8. इस संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से सर्वाधिक महत्व के साक्षी फरियादी व रिपोर्टकर्ता राकेश (अ0सा0-03) पीडिता अभियोक्त्री (अ0सा0-05) एवं उसका पति अनुश्रुत साक्षी सत्यनारायण (अ0सा0-06) है, जिनकी अभिसाक्ष्य का सर्वप्रथम विश्लेषण करना उचित होगा, सत्यनारायण (अ0सा0-06) की अभिसाक्ष्य का महत्व तभी होगा जब कि अ0सा0-03 एवं अ0सा0-05 की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय होना उक्त आरोप के संदर्भ में मानी जावे।
9. राकेश (अ0सा0-03) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि दिनांक 14/03/15 को रात करीब 07:00 बजे, जब वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम0डी0-0796 से अपनी भाभी अभियोक्त्री को लेकर ग्वालियर से अभियोक्त्री के मायके स्योडा जा रहा था, तब रास्ते में पिपरसाना चितौरा के बीच ताल के पास आम रोड पर एक मोटरसाइकिल पर चार लोग आये और ओवरटेक करके उनकी मोटरसाइकिल को गिरा दिया, जिससे वह व उसकी भाभी सड़क पर खड़े हो गये इसके बाद उनमें से दो बदमाश उसे पकड़कर कनपटी पर कट्टा लगाकर खेतों की तरफ ले गये शेष दो उसकी भाभी अभियोक्त्री को दूसरे खेत की तरफ ले गये। बदमाशों ने उससे शोर मचाने पर गोली मार देने की धमकी दी तथा उसके पर्स में रखे 800/-रुपये और लावा कंपनी का मोबाइल छीन ले गये, उसे आधा घंटे तक खेत में ही डाले रहे फिर भाग गये, उसके बाद वह खेत से बाहर आया और उसने अपनी भाभी को ढूँढा जो उसकी आवाज सुनकर उसके पास आयी और उसने भी बताया कि बदमाश उससे 2500/-रुपये, नोकिया कंपनी का मोबाइल, अंगूठी, लॉग सोने की, तोडिया चांदी की लूटकर ले गये, जो कट्टा लिये थे, जिससे वह डर गये थे और घबरा गये थे उनकी मोटरसाइकिल बदमाश वहीं छोड़ गये थे। डर के कारण और रात के कारण थाने पर रिपोर्ट को न जाकर ग्राम चितौरा में अपने रिश्तेदार करतार के यहां गये और वहीं रुके, फिर सुबह सूचना दिये जाने पर उसका साला चन्द्रप्रकाश व घरवाले आ गये, अभियोक्त्री ने उसे और कुछ नहीं बताया था अपने पति को बताया होगा।
10. अ0सा0-03 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया कि, घटना की थाना गोहद जाकर उसने प्र0पी0-03 की रिपोर्ट लिखयी थी, पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की थी और प्र0पी0-04 का नक्शा उसके सामने बनाया था और घटनास्थल से सफेद कोकाकोला रंग की शॉल, हरे रंग की चूड़ी टूटी हुई , एक प्लस्टिक का चश्मा जब्त कर प्र0पी0-05 का जब्तीपत्रक बनाया था और उससे पूछताछ की थी। इसके अलावा साक्षी ने और कुछ पुलिस को न बताना कहा, जिस पर से अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी

घोषित कर, पूछे गये सूचक प्रश्नों में पैरा-05 में उसने इस बात से इन्कार किया है, कि चितौरा गांव में घटनास्थल वाली रोड पर दो तीन दिन से चार लोगों के मोटरसाइकिल पर बैठकर घूमने की जानकारी मिली थी, जिसमें आरोपी सुनील भी था। आरोपी से रिश्तेदारी होने के कारण समझौता होने से भी इन्कार करना बताते हुए इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया है, कि उसे गवाही का समंस 12/01/16 को मिला था, लेकिन कथन दिनांक 13/01/16 को हुये, जिसका वह यह कारण बताता है, कि उसकी भाभी अभियोक्त्री बिलासपुर से आयी थी, उसकी ट्रेन लेट हो गयी थी, इसलिए वह 12/01/16 को साक्ष्य देने नहीं आ पाया।

11. इस बात से भी उक्त साक्षी ने पैरा-06 में इन्कार किया है, कि दिनांक 17/03/15 को उसे आरोपी ग्राम करगमां थाना बिजौली के होटल पर बेटा दिखा था, जिसे देखकर उसने पहचान लिया था, कि उनके साथ जो लूट की घटना हुई थी, उसमें आरोपी सुनील भी था और यह बात उसने प्र0पी0-03 की एफ0आई0आर0 और प्र0पी0-07 के पुलिस कथन में लिखाने से इन्कार किया है, तथा पैरा-07 में यह बताया है, कि पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी थी, वह उसे पढकर नहीं सुनायी थी तथा जिन कागजों पर उसके हस्ताक्षर कराये गये थे, वह थाने पर कोरे कागजों पर करा लिये गये थे। साक्षी के प्र0पी0-03 लगायत प्र0पी0-06 पर हस्ताक्षर हैं।

12. अ0सा0-03 की उपरोक्त प्रकार की अभिसाक्ष्य और अभियोजन के कथानक को देखा जाये, तो साक्षी इस बात की तो पुष्टि करता है, कि उसके व उसकी भाभी अभियोक्त्री के साथ जो घटना घटित हुई, वह चार लोगों द्वारा की गयी, जो कि मोटरसाइकिल पर आये थे और रास्ते में जाते समय उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया था और गिरा दिया था तथा दो बदमाश उसे अलग खेत में ले गये थे, तथा दो बदमाश उसकी भाभी अभियोक्त्री को अलग खेत में ले गये तथा लूट की घटना को अंजाम दिया था। जो वस्तुओं प्र0पी0-03 की एफ0आई0आर0 में लूटी जाना बतायी गयी है, उसी अनुरूप उक्त साक्षी भी अपने अभिसाक्ष्य में बताता है, किंतु जिन चार लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, उनमें विचाराधीन आरोपी सुनील परिहार के शामिल होने की वह पुष्टि नहीं करता है और इसी बिन्दु पर वह पक्ष विरोधी है, तथा सूचक प्रश्नों में भी आरोपी की विरुद्ध कोई तथ्य वह नहीं बताता है। अ0सा0-03 की तरह ही उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में अभियोक्त्री (अ0सा0-05) की भी अभिसाक्ष्य आयी है, किंतु वह भी घटना कारित करने वालों में आरोपी सुनील परिहार के शामिल होने और उसे पहचान लेने की बात से इन्कार कर अभियोजन का प्र0पी0-03 अनुसार समर्थन आरोपी के विरुद्ध नहीं करती है। उसने भी साक्ष्य के लिए 12/01/16 को

न्यायालय में न आ पाने का अ0सा0-03 की तरह ही स्पष्टीकरण दिया है, अनुश्रुत साक्षी के रूप में अभियोक्त्री के पति सत्यनारायण (अ0सा0-06) ने भी अभिसाक्ष्य दी है, अभियोक्त्री ने प्र0पी0-11 के पुलिस कथन में उसके देवर राकेश के द्वारा आरोपी को ग्राम करगमां में पहचान लेने की बात का समर्थन नहीं किया है।

13. इसी प्रकार सत्यनारायण ने भी प्र0पी0-12 के पुलिस कथन का समर्थन नहीं किया है, अर्थात् तीनों ही साक्षी आरोपी के घटना में शामिल होने के बिन्दु पर पक्ष विरोधी होकर अभियोजन का कतई समर्थन नहीं करते हैं। उनके अभिसाक्ष्य से केवल इस बिन्दु मात्र की पुष्टि होती है, कि राकेश एवं अभियोक्त्री के साथ दिनांक 14/03/15 को शाम के समय पिपरसाना और चितौरा के बीच ताल के पास गोहद में रास्ते में जाते समय चार लोगों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें उनकी नगदी और दो मोबाइल फोन और अभियोक्त्री से सोने व चांदी के जेवरात की लूट की गयी थी, जो करीब 30,000/- हजार रुपये कीमत के थे और घटनास्थल स्वीकृत तौर पर डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत है, किंतु उक्त लूट की घटना में आरोपी सुनील भी शामिल था, इस बारे में उनकी कोई साक्ष्य नहीं आयी है और अभियोक्त्री के धारा-164 दं0प्र0सं0 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष हुये कथन में भी आरोपी का कोई नाम नहीं आया है, न ही उसमें यह तथ्य आया है, कि बाद में दिनांक 17/03/15 को अभियोक्त्री के देवर राकेश ने ग्राम करगमां थाना बिजौली के किसी होटल पर आरोपी को पहचान लिया था, जो घटना में शामिल था, इसलिए लूट की घटना में विचाराधीन आरोपी के सम्मिलित होने की पुष्टि उपरोक्त तीनों महत्वपूर्ण साक्षियों की अभिसाक्ष्य से नहीं होती है, इसलिए शेष साक्ष्य के आधार पर और सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो जाती है।

14. घटना के विवेचक निरीक्षक सुनील खेमरिया (अ0सा0-13) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि फरियादी राकेश परिहार द्वारा दर्ज करायी गयी प्र0पी0-03 की रिपोर्ट उसने, उसके बताये अनुसार लेखबद्ध की थी और फरियादी की निशांदेही पर उसने घटनास्थल पर जाकर प्र0पी0-04 का नक्शामौका बनाया था, तथा प्र0पी0-05 मुताबिक घटनास्थल से एक शॉल, टूटी चूड़ीयां, प्लास्टिक का चश्मा जब्त कर प्र0पी0-05 का जब्तीपत्र बनाया था, तथा दिनांक 19/03/15 को उसने आरोपी सुनील को प्र0पी0-08 मुताबिक गिरफ्तार करना बताया है, जिसका समर्थन साक्षी मुन्नालाल खटीक (अ0सा0-12) ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है। विवेचक ने यह भी बताया है, कि गिरफ्तारी उपरांत उसने आरोपी से पूछताछ कर प्र0पी0-14 का मेमोरेण्डम कथन धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत लिया था। जिसमें आरोपी ने जेवरात बरामद कराना बताया था।

प्र0पी0-14 की कार्यवाही विवेचक द्वारा किये जाने की पुष्टि तत्कालीन प्रधान आरक्षक, वर्तमान ए0एस0आई0 कमलेश कुमार (अ0सा0-11) एवं आरक्षक विनोद (अ0सा0-08) के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में की गयी है, किंतु विवेचक के मुताबिक माल बरामद कराने की जानकारी दी गयी, जबकि अ0सा0-11 के मुताबिक आरोपी द्वारा माल उसके साथियों के द्वारा ले जाना और चांदी की तोड़ियां उसके हिस्से में आना तथा मकान के पीछे गाड़ कर छिपा देना और बरामद कराना बताया है। इस संबंध में आरक्षक विनोद (अ0सा0-08) की भी अ0सा0-11 अनुसार अभिसाक्ष्य आयी है और उक्त दोनों साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है, कि टी0आई0 साहब द्वारा आरोपी के मकान पर जाकर तलाशी की कार्यवाही की गयी थी, किंतु कोई माल-मसरूखा नहीं मिला था, जिसका प्र0पी0-09 का तलाशी पंचनामा बनाया था। प्र0पी0-09 तलाशी पंचनामा बनाये जाने की पुष्टि मुन्नालाल खटीक (अ0सा0-04) एवं आरक्षक दीवान सिंह (अ0सा0-09) ने भी की है।

15. इस तरह से धारा-27 साक्ष्य विधान के आज्ञापित मेमोरेण्डम प्र0पी0-14 और तलाशी पंचनामा प्र0पी0-09 मुताबिक आरोपी के आधिपत्य या संज्ञान से कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई है। कथानक मुताबिक फरियादी द्वारा आरोपी को घटना के तीन दिन बाद ग्राम करगमां के होटल पर पहचानने के बाद एफ0आई0आर0 दर्ज कराना बताया है। आरोपी से प्रकरण में गिरफ्तारी के पश्चात की गयी पूछताछ में प्र0पी0-14 के मेमोरेण्डम में अन्य साथियों के नाम नहीं आये हैं, जबकि वे अज्ञात थे, ऐसे में तो जानकारी प्राप्त करनी थी, तथा विवेचक को प्र0पी0-14 में आरोपी के साथियों के नाम स्पष्ट पूछे जाने चाहिए थे, जिसके अभाव में और किसी वस्तु की बरामदगी न होने से भी आरोपी का लूट की घटना में शामिल होना संदिग्ध हो जाता है और उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य से भी उसकी लूट की घटना में संलिप्तता प्रकट नहीं होती है तथा अभियोक्त्री से आरोपी के पकड़े जाने के पश्चात उसकी पहचान की कोई कार्यवाही नहीं करायी गयी तथा घटनास्थल से जो टूटा चश्मा जब्त किया गया, उसकी भी अभियोक्त्री से कोई पहचान नहीं करायी गयी, जो विवेचना की कमी को दर्शाता है।

16. इस प्रकार से अभिलेख पर उक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं होता है, कि उसने दिनांक 14/03/15 को शाम करीब 07:00 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र पिपरसाना चितौरा के बीच ताल के पास गोहद में राकेश एवं उसकी भाभी अभियोक्त्री के साथ मोबाइल, रुपये, जेवर आदि की लूट घातक आयुध कट्टे का उपयोग करते हुए अन्य साथियों के साथ मिलकर

कारित की, इसलिए धारा-392/397 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 का आरोप कतई प्रमाणित न होने से उक्त आरोप से आरोपी सुनील परिहार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 03 का निराकरण

17. इस संबंध में सर्वाधिक महत्व की साक्षी अभियोक्त्री (अ0सा0-05) है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी को पहचानने से इन्कार करते हुए, यह बताया है, कि जब वह अपने देवर के साथ मोटरसाइकिल से अपने मायके जा रही थी, तब रास्ते में पिपरसान चितौरा के बीच ताल के पास आम रोड पर चार अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल से आकर उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके गिरा दिया था, जिससे वह और उसका देवर गिर गया था, दो बदमाश उसके देवर को पकड़ कर ले गये थे, तथा दो बदमाशों ने उसे दूसरे खेत में ले जाकर उससे मोबाइल और जेवरात लूटने के अलावा उसके साथ बलात्कार भी किया था, बलात्कार वाली बात उसने अपने देवर को तुरंत नहीं बतायी, घर जाकर अपने पति को बतायी थी, बदमाशों ने उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया था। साक्षिया ने यह भी बताया है, कि घटना के बाद रात में वे चितौरा गांव अपने रिश्तेदार करतार के यहां रुके थे। सुबह जब घर के लोग आ गये थे, तब पति और देवर के साथ थाने गयी थी, पुलिस ने उसका मेडीकल कराया था, अस्पताल में उसके गुप्तांग के बाल (प्यूबिक हेयर) एवं स्वाब लेकर जब्त किया था, घटना के समय जो वह हरे सुआ रंग का पेटिकोट पहने थी, उसे भी पुलिस ने प्र0पी0-06 का जब्तीपत्रक बनाकर जब्त किया था और पुलिस ने उसका बयान लिया था, जिसमें उसने किसी आरोपी का नाम नहीं बताया था। साक्षिया ने यह भी कहा है, कि उसका घटना के संबंध में जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में भी कथन हुआ था, और प्र0पी0-10 का कथन उसने अपनी इच्छा से दिया था।

18. अभियोक्त्री (अ0सा0-05) ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी के संबंध में यह बताया है, कि उसकी ससुराल वाले कहते हैं, कि बडेरा गांव में उनकी बिरादरी के लोग रहते हैं, आरोपी रिश्तेदार है, या नहीं यह उसे पता नहीं है, साक्षिया ने इस बात से इन्कार किया है, कि उसके पति व देवर ने पता किया था, तब उन्हें एक बदमाश ग्राम करगमां में बैठा दिखा था, जिसे उसके देवर राकेश ने पहचान लिया था, साक्षिया ने प्र0पी0-11 के पुलिस कथन में यह बताने से इन्कार किया है, कि आरोपी सुनील ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ बलत्संग किया था और घटना में आरोपी सुनील संग था, आरोपी से समझौता होने से उसने इन्कार किया है और प्र0पी0-11

का कथन पुलिस द्वारा पढ़कर सुनाये जाने से भी वह इन्कार करती है, नक्शामौका प्र०पी०-०४ और जब्तीपत्र प्र०पी०-०५ एवं ०६ एवं मजिस्ट्रेट को दिये कथन प्र०पी०-१० पर वह अपने हस्ताक्षर स्वीकार करती है, प्र०पी०-०४ लगायत प्र०पी०-०६ पर थाने पर हस्ताक्षर करना उसने बताया है।

19. इस प्रकार से अभियोक्त्री के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में विचाराधीन आरोपी के घटना में शामिल होने और समूहिक बलात्संग के मामले में संलिप्त होने से स्पष्टतः इन्कार किया गया है। उसकी अभिसाक्ष्य से इस बात की पुष्टि तो होती है, कि जो घटना कथानक में बतायी गयी है, उसमें अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग का अपराध तो घटित हुआ था, किंतु वह अपराध अन्य अपराधियों के साथ मिलकर विचाराधीन आरोपी के द्वारा ही घटित किया गया, इस बात से वह इन्कार करती है, इसलिए अभियोक्त्री की अभिसाक्ष्य आरोपी के विरुद्ध विचाराधीन आरोप के संबंध में भी नहीं है और वह पक्ष विरोधी रही है। प्र०पी०-१० के धारा-164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष हुये कथन में भी आरोपी का कोई नाम नहीं आया है, बल्कि प्र०पी०-१० में इस बात का उल्लेख है, कि जिन लोगों के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग की घटना की गयी थी, उनमें से किसी को वह पहचान नहीं पायी थी, क्योंकि वह चश्मा लगाती थी और घटना कारित करने वालों ने उसका चश्मा निकाल दिया था। प्र०पी०-१० में अभियोक्त्री के द्वारा ऐसी जानकारी नहीं दी गयी, कि उसके देवर और पति ने ग्राम करगमां में आरोपी को पहचान लिया था और उसे बताया था, ऐसे में प्र०पी०-१० के कथन से विचाराधीन आरोपी के विरुद्ध अपराध के प्रमाण में कोई सहायता अभियोजन को प्राप्त नहीं होती है तथा अभियोक्त्री के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य और प्र०पी०-१० में आये तथ्यों से अभियोक्त्री के द्वारा बलात्संग के संबंध में आरोपी को बचाने के उद्देश्य से साक्ष्य दी जाना भी परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि यदि प्र०पी०-१० में आरोपी का नाम आता, जिससे वह न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इन्कार कर रही है, तो कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इसलिए अभियोजन पक्ष का यह तर्क कि अभियोक्त्री और आरोपी एक ही समाज, जाति के होकर रिश्तेदार है, इस कारण अभियोक्त्री के द्वारा आरोपी को बचाने के लिए असत्य कथन किये गये हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

20. अभियोक्त्री के पुलिस कथन प्र०पी०-११ में अवश्य यह तथ्य आया था, कि घटना कारित करने वालों में से आरोपी को उसके पति व देवर द्वारा पता करने पर ग्राम करगमां में देखा था और देवर द्वारा पहचान लिया गया था, जिससे वह अवश्य इन्कार करती है, किंतु पुलिस कथन प्र०पी०-११ दिनांक 17/03/15 को लेखबद्ध किया

गया था और धारा-164 दं०प्र०सं० के तहत अभियोक्त्री के जे०एम०एफ०सी० गोहद के समक्ष कथन उसके बाद दिनांक 23/03/15 को लिपिबद्ध हुये, जिसमें आरोपी को पहचानने की कोई बात नहीं आयी, इसलिए भी अभियोक्त्री के विरुद्ध असत्य कथन न्यायालय में करने की उपधारणा कतई प्रमाणित नहीं होती है और घटना की विवेचना करने वाले निरीक्षक सुनील खेमरिया (अ०सा०-13) ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोक्त्री के द्वारा आरोपी का नाम न बताये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, आरोपी की अभियोक्त्री से कोई पहचान भी अनुसंधान के दौरान नहीं करायी गयी, जो कि अभियोजन के लिए घातक है।

21. प्रकरण में निरीक्षक सुनील खेमरिया (अ०सा०-13) ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी०-04 का घटनास्थल का नजरीनक्शा तैयार करने के अलावा घटनास्थल का निरीक्षण करते समय मौके से एक शॉल, तीन हरे रंग की चूड़ियां व एक प्लास्टिक का चश्मा जब्त कर प्र०पी०-05 का जब्तीपत्रक तैयार करना बताया है। अभियोक्त्री के मुताबिक वह चश्मा पहनती थी, उसके साथ घटना कारित करने वालों ने उसका चश्मा निकाल दिया था, किंतु चश्मा मौके से बरामद होने के बाद भी उसकी पहचान की कार्यवाही अभियोक्त्री से नहीं करायी गयी। यह भी विवेचना में लोप की श्रेणी में आता है और प्र०पी-14 के आरोपी के मेमोरेण्डम कथन में भी सामूहिक बलात्संग की घटना में शामिल लोगों के नाम का खुलासा भी आरोपी से नहीं कराया जाना भी लचर विवेचना का परिचायक है, क्योंकि उसके संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।

22. इस बिन्दु पर रिपोर्टकर्ता फरियादी राकेश (अ०सा०-03) और अभियोक्त्री का पति सत्यनारायण (अ०सा०-06) की स्थिति अनुश्रुत साक्षी की है, जिनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी अभियोक्त्री (अ०सा०-05) की तरह ही तथ्य आये हैं और उन्होंने भी आरोपी सुनील परिहार का समूहिक बलात्संग की घटना में शामिल होने संबंधी अभियोक्त्री की तरह ही अभिसाक्ष्य देते हुए पुलिस कथन क्रमशः प्र०पी०-07 एवं प्र०पी०-12 की पुष्टि आरोपी के सम्मिलित होने के संदर्भ में नहीं की है, जिससे अभियोजन के मामले के बारे में संदेह उक्त बिन्दु के बारे में भी उत्पन्न होता है और केवल इस बात की ही पुष्टि होती है, कि अभियोक्त्री के साथ बलात्संग की घटना कारित हुयी थी, लेकिन आरोपी द्वारा संलिप्त रहते हुए घटना कारित की गयी, इस बारे में साक्ष्य का अभाव है।

23. प्रकरण में जो चिकित्सकीय साक्ष्य आयी है, उसको देखा जाये तो डॉक्टर जी०आर० शाक्य (अ०सा०-02) ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 20/03/15 को सी०एच०सी० गोहद में मेडीकल ऑफीसर रहते हुए आरोपी सुनील का मेडीकल परीक्षण करना बताते हुए, उसे

संभोग के लिए सक्षम व्यक्ति होना पाया, उसके गुप्तांगों का परीक्षण करने पर शिश्न पर कोई चोट के निशान, खून या वीर्य के धब्बे नहीं पाये थे और वह सामान्य था, उसके चारों तरफ बाल पाये थे, आरोपी के वीर्य की स्लाइट उसने तैयार कर पुलिस को भेजी थी, आरोपी के गुप्तांग पर बाहरी चोट भी नहीं थी, इस तरह से उक्त चिकित्सक के द्वारा आरोपी को संभोग के लिए सक्षम होना प्रमाणित किया गया है।

24. अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाली डॉक्टर श्रीमती विवलेश गौतम (अ0सा0-10) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि दिनांक 18/03/15 को वह सी0एच0सी0 गोहद में निश्चेतना विशेषज्ञ के पद पर थी। उक्त दिनांक को थाना गोहद की महिला आरक्षक द्वारा अभियोक्त्री को मेडीकल परीक्षण हेतु उसके समक्ष अस्पताल में लाया गया था, जिसका उसने परीक्षण किया था। अभियोक्त्री के दाहिने हाथ पर पीछे की तरफ 5X1/2X1/4 सी0एम0 का एक छिला घाव पाया था, तथा बायें कान पर भी एक छिला घाव 1/2 से0मी0 ब्यास का था, दोनों घाव पर सूखा रक्त जमा था, उसने जानकारी ली थी तो अभियोक्त्री ने घटना के बाद स्नान कर लेना बताया था तथा दिनांक 17/03/15 से महावारी प्रारंभ होना बताया था। अभियोक्त्री की योनी के अंदरूनी भाग से स्वाब लेकर स्लाइट तैयार की गयी थी और उसके गुप्तांगों के बाल (प्यूबिक हेयर) काटकर सील्ड किये गये थे, अंदरूनी जांच करने पर बच्चेदानी पीछे की ओर झुकी थी, जिसका वह निश्चित आकार नहीं बता सकती है, अभियोक्त्री के गुप्तांग पर चोट के निशान नहीं थे, अभियोक्त्री के परीक्षण के पश्चात प्र0पी0-15 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए बलात्संग के संबंध में निश्चित अभिमत देने में असमर्थता व्यक्त की है और अभियोक्त्री के बायें कान और दाहिने हाथ पर जो छिलन के निशान पाये थे उनके बारे में यह राय व्यक्त की है, कि वह चोटें साधारण और सख्त भौतरे हथियार की होकर तीन दिन से अधिक अवधि की थी, यह संभावना भी व्यक्त की है, कि अभियोक्त्री के मोटरसाइकिल से गिरने पर भी उक्त छिलन की दोनों चोटें आ सकती हैं।

25. इस प्रकार से उक्त महीला चिकित्सक के द्वारा जो मेडीकल परीक्षण उपरांत मेडीकल रिपोर्ट तैयार की गयी है, उससे बलात्संग के संबंध में कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की गयी है, अभियोक्त्री के द्वारा घटना के पश्चात मेडीकल परीक्षण के पूर्व स्नान भी कर लिया गया था, तथा घटना के पश्चात उसकी महावारी भी प्रारंभ हो गयी थी। ऐसे में बलात्संग के संबंध में साक्ष्य मिलने की संभावना भी क्षीण हो जाती है, जिस तरह की रिपोर्ट दी गयी है, उससे अभियोक्त्री का संभोग के लिए अभ्यस्त होने की परिस्थिति अवश्य प्रकट होती है, किंतु कथानक में चार लोगों के द्वारा एक ही समय में

बारी-बारी से अभियोक्त्री की इच्छा के विरुद्ध और सम्मति के बिना अयुक्त संभोग बल पूर्वक करना बताया गया है, किंतु अभियोक्त्री के गुप्तांग के बाहरी या अंदरूनी किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं पायी गयी, इससे सामूहिक बलात्संग के संबंध में संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, तथा अभियोक्त्री के दाहिने हाथ और बायें कान पर जो छिलन के घाव पाये गये, उसे यदि सामूहिक बलात्संग के सयम संघर्ष के चिन्हों के रूप में देखा जाये तो आरोपी के शरीर पर भी संघर्ष में बचाव के दौरान निशान अभियोक्त्री के द्वारा पहुंचाया जाना प्रकट होना चाहिए था, ऐसा नहीं पाया गया। घटनास्थल से जो प्र०पी०-05 मुताबिक टूटी हुई चूड़ी के टुकड़े और एक चश्मा प्लास्टिक का जिसमें एक कांच का ग्लास लगा हुआ था एक नहीं था, उसके बारे में भी इस आशय की साक्ष्य नहीं आयी है, कि वह चश्मा अभियोक्त्री का ही था। ऐसे में प्र०पी०-05 की जब्ती महत्व नहीं रखती है।

26. प्रकरण में अभियोक्त्री का घटना के समय पहना हुआ पेटिकोट प्र०पी०-06 द्वारा जब्त करना बताया गया है, जिसका अभियोक्त्री के अलावा सत्यनारायण (अ०सा०-06) ने भी समर्थन किया और पेटिकोट को, अभियुक्त एवं अभियोक्त्री के चिकित्सक द्वारा बनाये गये शीमन स्लाइट, प्यूबिक हेयर, पहने हुए अंडर गारमेन्ट्स को रासायनिक परीक्षण हेतु प्र०पी०-16 के ड्राफ्ट के माध्यम से रीजनल एफ०एस०एल० ग्वालियर भेजना बताया गया है, जैसा कि अ०सा०-13 के अभिसाक्ष्य में आया है, जिसकी जांच रिपोर्ट रीजनल एफ०एस०एल० ग्वालियर से प्र०पी०-17 की प्राप्त हुयी है, वह भी साक्ष्य में अग्राह्य योग्य दस्तावेज है, उसमें जब्तशुदा वस्तुओं में घटनास्थल पर मिली शॉल, अभियोक्त्री के प्यूबिक हेयर पर वीर्य के धब्बे व मानव शुक्राणु नहीं पाये गये, दोनों की स्लाइटों स्वाब और आरोपी की जब्त बतायी गयी चढ़्ढी पर वीर्य के धब्बे व मानव शुक्राणु पाये गये, जो अलग-अलग समय संकलित हुये है, किंतु सीरम परीक्षण नहीं हुआ है और अभियोक्त्री के स्वाब स्लाइट, पेटिकोट पर जो वीर्य के धब्बे और मानव शुक्राणु पाये गये उनसे आरोपी के लिये गये स्लाइट से मिलान होने की साक्ष्य नहीं है, इससे भी आरोपी से बलात्संग की बतायी घटना के बारे में कोई कड़ी नहीं जुडती है, ऐसे में प्र०पी०-01 मुताबिक अभियोक्त्री की स्लाइट प्यूबिक हेयर की जब्ती के संबंध में आरक्षक रामलली यादव (अ०सा०-01) ने अभिसाक्ष्य दी है, तथा डाक्टर श्रीमती विमलेश गौतम (अ०सा०-10) ने उक्त चीजों को लेकर सील्ड करना बताया है, जिसके संबंध में सैनिक मनीराम (अ०सा०-07) एवं आरक्षक विनोद (अ०सा०-08) जब्तीकर्ता ए०एस०आई० कमलेश कुमार (अ०सा०-11) की साक्ष्य भी औपचारिक साक्ष्य ही रह जाती है और विवेचक अ०सा०-13 भी इस दृष्टि से औपचारिक साक्षी ही रह जाता है। उपरोक्त समग्र साक्ष्य से

इस बात की पुष्टि तो होती है, कि अभियुक्त और अभियोक्त्री संभोग के लिए समर्थ व्यक्ति रहे हैं, किंतु आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री के साथ अयुक्त संभोग करने की पुष्टि उपरोक्त साक्ष्य से नहीं होती है, इसलिए आरोपी से प्र०पी०-13 अनुसार जब्त की गयी उसकी चढ़ी की स्लाइट भी औपचारिकता मात्र है और उसके अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

27. उक्त मामले में अभियोक्त्री बतायी गयी घटना के समय 35 वर्षीय थी, आरोपी भी 30 वर्षीय होकर वयस्क था, सामूहिक बलात्संग का मामला बताया गया है, देशी कट्टे का भय दिखाना भी बताया गया है, घटनास्थल से जिस प्रकार से टूटी चूड़ियों के टुकड़े तथा चश्मा बरामद बताया गया है, उसे देखते हुये संघर्ष की परिस्थिति बनती है, किंतु अभियोक्त्री के द्वारा प्रतिरोध के कोई चिन्ह नहीं पाये जाना घटना के बारे में संदेह उत्पन्न करते हुए घटना की स्वभाविकता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है, ऐसे में अभियोक्त्री के पेटीकोट पर, आरोपी की चढ़ी पर पाये गये धब्बे महत्व नहीं रखते हैं, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **मंगू विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम०पी० 2000 भाग-1 एम०पी०डब्लू०एन० शॉर्टनोट-169** अवलोकनीय है। प्रकरण में स्वयं अभियोक्त्री के द्वारा आरोपी के विरुद्ध बलात्संग कारित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है, ऐसी दशा में उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर विचाराधीन आरोपी सुनील के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल है, कि दिनांक 14/03/15 को शाम करीब 07:00 बजे अभियोक्त्री के साथ रास्ते में जाते समय रोककर खेत में ले जाकर आरोपी सुनील के द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी इच्छा के विरुद्ध और सहमति के बिना बारी-बारी अयुक्त संभोग कर बलात्संग कारित किया। फलतः आरोपी को धारा-392/397 एवं धारा-376(2)(जी) भा०द०वि० सहित सहपठित धारा-11,13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के०एक्ट० 1981 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

28. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं, और प्रकरण में जब्तशुदा वस्तुयें स्लाइट, स्वाब, कपड़े जिनमें शॉल, पेटीकोट तथा चढ़ी शामिल है, प्यूबिक हेयर चश्मा आदि मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

29. आरोपी का धारा-428 दं०प्र०सं० के अंतर्गत विचारण दौरान न्यायिक निरोध में काटी गयी अवधि बावत् प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

30. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक: 14 सितम्बर 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड